



2026:AHC:25000

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 2697 / 2026

गुलाम .....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य .....प्रतिवादी

याची के अधिवक्ता : कृष्ण कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अरुण कुमार पाण्डेय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत दायर वाद संख्या 5663, वर्ष 2022 में सहायक कलक्टर (प्रथम श्रेणी)/तहसीलदार, तहसील संभल, जनपद संभल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

2. आज जब मामला सुनवाई हेतु लिया गया, तो विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि याची के पास उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुसार अपील दायर करने का वैधानिक वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है।

3. चूंकि याची के पास अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार मौजूद है, अतः यह रिट याचिका याची को उपलब्ध वैकल्पिक उपचार के आधार पर खारिज की जाती है।

(प्रकाश पाडिया न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलेन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"